

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2023/66

मुकदमा नम्बर 14/2023

दर्ज दिनांक— 16.02.2023

भंवर कंवर पत्नी स्व. किशोर सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड, तहसील नवलगढ़, जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री सुमेर सिंह सैनी

अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 16.02.2023

प्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 294 पुराना 338 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 469 रकबा 0.24 है, खसरा नं. 816 रकबा 4.80 है कुल किता 2 कुल रकबा 5.04 है मे आवेदिका का नाम ओमकंवर पत्नी किशोरसिंह जगह भंवर कंवर पत्नी स्व. किशोरसिंह दर्ज की जावें।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। तलबी अनावेदक की जारी की गई। तहसीलदार नवलगढ़ की और से पैरा. राज. उपस्थित हो रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2024/1358 दिनांक 28.03.2024 पेश की गई।

बहस उभय पक्ष पेश होने पर बगोर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ़ की रिपोर्ट, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व प्रा. पत्र के अंकित तथ्यों के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम झाझड पटवार हल्का झाझड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 294 पुराना 338 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 469 रकबा 0.24 है, खसरा नं. 816 रकबा 4.80 है कुल किता 2 कुल रकबा 5.04 है मे आवेदिका का नाम ओमकंवर पत्नी किशोरसिंह जगह भंवर कंवर पत्नी स्व. किशोरसिंह दुरुस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
जिला-झुझुनू